



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/233/2009/Part-I...3063

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना

पटना, दिनांक 20/08/26

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत औषधि आपूर्ति मद (Free Drug Service Initiative etc.) एवं उपकरण आपूर्ति मद में BMSICL को आवंटित बजट से सेवा प्रदाता एजेंसियों को भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग: भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 10/3/2026/NHM-I दिनांक 25.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट मद-औषधि आपूर्ति (Free Drug Service Initiative etc.) एवं उपकरण आपूर्ति आदि में बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। BMSICL की अधियाचना के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संबंधित शीर्ष/मद में स्वीकृत/अनुमोदित बजट के अधीन SNA-SPARSH पर BMSICL को Virtual बजट आवंटित किया जाता है।

2. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NHM अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित बजट संसूचित करते हुए यह निदेश दिया गया है कि अधिप्राप्तियों के मामले में राज्य के वित्तीय नियमों, अनुदेशों एवं वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, SNA-SPARSH में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा यह निदेश दिया गया है कि साइबर ट्रेजरी में Bill/Claim समर्पित करने में वित्त विभागीय निर्देश पत्रांक 5295 दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन किया जाएगा।

3. आप अवगत है कि पूर्व से स्थापित प्रक्रिया के तहत औषधि, चिकित्सकीय सामग्रियों (Consumables, Medical Devices) की आपूर्ति हेतु जिलो से त्रैमासिक अधियाचना (इन्डेंट) DVDMS Portal पर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित कर DVDMS Portal पर अंतिम रूप से भेजा जाता है। इसी प्रकार उपकरणों एवं उपस्करों (Medical Equipment, Instrument) की आपूर्ति हेतु EMMS Portal पर उपकरणों की अधियाचना संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित कर EMMS Portal पर अंतिम रूप से भेजा जाता है।

4. अधियाचना (Indent) करने की उपर्युक्त व्यवस्था के तहत BMSICL द्वारा औषधि, चिकित्सकीय सामग्रियों (Consumables, Medical Devices) तथा उपकरणों एवं उपस्करों आदि की आपूर्ति क्रमशः जिला औषधि भंडार एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाता है। औषधियों के मामले में BMSICL के क्षेत्रीय भंडार से जिला औषधि भंडार को औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों (Consumables, Medical Devices) की आपूर्ति हेतु क्षेत्रीय औषधि भंडार के प्रबंधक द्वारा DVDMS Portal पर MIN - Material Issue Note संबंधित जिला औषधि भंडार को निर्गत किया जाता है। जिला औषधि भंडार का यह दायित्व होता है कि क्षेत्रीय औषधि भंडार द्वारा निर्गत MIN में अंकित औषधियों एवं उनकी मात्रा के अनुरूप भौतिक रूप से औषधि प्राप्त होने पर औषधि का बैचवार मात्रा/संख्या का मिलान करने के उपरांत ही जिला औषधि भंडार द्वारा DVDMS Portal में उक्त

सुलभ स्वास्थ्य - सुरक्षित जीवन

स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014, दूरभाष: 0612-2290328, वेबसाइट: www.shs.bihar.gov.in



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



औषधि को Acknowledge (Receive) किया जाता है। क्षेत्रीय औषधि भंडार में दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों से क्रयादेश के अनुरूप औषधि प्राप्त होने के उपरांत औषधि के दर अनुबंधित एजेन्सी को MRC- Material Receipt Certificate निर्गत किया जाता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर के मामले में EMMS Portal पर जिलों/स्वास्थ्य संस्थानों से उपकरणों के लिए प्राप्त अध्याचना (Indent) के विरुद्ध BMSICL के दर अनुबंधित एजेन्सी द्वारा उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाता है। आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरांत संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा Consignee Receipt Certificate/Installation Report निर्गत किया जाता है, जो BMSICL कार्यालय में जमा होता है।

6. BMSICL द्वारा औषधि के MRC- Material Receipt Certificate एवं उपकरण के Consignee Receipt Certificate/Installation Report और अन्य अनिवार्य कागजातों के आधार पर BMSICL के स्तर से दर अनुबंधित एजेन्सियों के विपत्रों के भुगतानादि की विहित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

7. औषधियों, चिकित्सकीय सामग्रियों, उपकरणों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त औषधियों एवं उपकरणों आदि की आपूर्ति श्रृंखला, वितरण एवं उसके उपयोग को सुदृढ़ एवं अत्याधिक प्रभावकारी बनाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है:-

(क) **औषधि:-** औषधियों की आपूर्ति प्राप्त होने पर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से औषधियों के भंडार में प्राप्त होने (भौतिक भंडारपंजी एवं DVDMS पोर्टल में प्रविष्टि सहित) के उपरांत आपूर्ति का सत्यापन **MIN - Material Issue Note** पर किया जाएगा।

(ख) **उपकरण:-** इसी प्रकार उपकरण एवं उपस्कर की संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में आपूर्ति प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि भौतिक भंडारपंजी एवं EMMS पोर्टल पर किया जाएगा। उपकरण के अधिष्ठापन के उपरांत **Consignee Receipt Certificate/Installation Report** पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

(ग) अस्पताल स्तर एवं जिला स्तर पर सत्यापन करने वाले नामित पदाधिकारी निम्नवत् है:-

अस्पताल का स्तर	स्वास्थ्य संस्थान स्तर			जिला स्तर	
	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	चतुर्थ स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
जिला औषधि भंडार	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
सदर अस्पताल	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	अस्पताल प्रबंधक	उपाधीक्षक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
अनुमंडल अस्पताल	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	अस्पताल प्रबंधक	उपाधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	शहरी स्वास्थ्य सलाहकार	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
ग्राम स्तर (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ रेफरल अस्पताल)	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	ग्राम स्तर स्वास्थ्य प्रबंधक	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अस्पताल का स्तर	स्वास्थ्य संस्थान स्तर			जिला स्तर	
	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	चतुर्थ स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
प्रखंड से नीचे के स्तर (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
HWC/स्वास्थ्य उपकेन्द्र	CHO/ANM	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	जिला योजना समन्वयक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन

8. औषधियों का MIN - Material Issue Note तथा उपकरण एवं उपस्कर का Consignee Receipt Certificate/Installation Report पर उपर्युक्त सारणी 7 में अंकित स्वास्थ्य संस्थान स्तर के पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी के सत्यापनोपरांत सभी सत्यापित प्रपत्रों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा BMSICL के क्षेत्रीय औषधि भंडार (RWH) को अग्रसारित कर दिया जाएगा। आपूर्ति से संबंधित आलोच्य प्रपत्रों पर सभी स्तर के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर/सत्यापन होना अनिवार्य है। BMSICL कार्यालय द्वारा संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय से समन्वय कर उक्त सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त की जाएगी। तदोपरांत BMSICL विपत्रों के भुगतानादि संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

9. क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ अपने क्षेत्राधीन जिलों के न्यूनतम 10 प्रतिशत MIN - Material Issue Note एवं Consignee Receipt Certificate/Installation Report की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से प्रबंध निदेशक BMSICL को संसूचित करेंगे।

10. उपर्युक्त निर्धारित व्यवस्था के तहत औषधियों एवं उपकरणों आदि की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए। BMSICL द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपर्युक्त निहित व्यवस्था के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)
20/8/2024

(अमित कुमार पाण्डेय)



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अमित कुमार पाण्डेय, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

पत्रांक: SHSB/PM/233/2009/Part-I.....

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना

पटना, दिनांक

विषय: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत औषधि आपूर्ति मद (Free Drug Service Initiative etc.) एवं उपकरण आपूर्ति मद में BMSICL को आवंटित बजट से सेवा प्रदाता एजेन्सियों को भुगतान करने के संबंध में।

प्रसंग: भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 10/3/2026/NHM-I दिनांक 25.06.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रोक्योरमेंट मद- औषधि आपूर्ति (Free Drug Service Initiative etc.) एवं उपकरण आपूर्ति आदि में बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। BMSICL की अध्याचना के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संबंधित शीर्ष/मद में स्वीकृत/अनुमोदित बजट के अधीन SNA-SPARSH पर BMSICL को Virtual बजट आवंटित किया जाता है।

2. भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा NHM अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमोदित बजट संसूचित करते हुए यह निदेश दिया गया है कि अधिप्राप्तियों के मामले में राज्य के वित्तीय नियमों, अनुदेशों एवं वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, SNA-SPARSH में वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा यह निदेश दिया गया है कि साइबर ट्रेजरी में Bill/Claim समर्पित करने में वित्त विभागीय निर्देश पत्रांक 5295 दिनांक 09.05.2025 का अनुपालन किया जाएगा।

3. आप अवगत हैं कि पूर्व से स्थापित प्रक्रिया के तहत औषधि, चिकित्सकीय सामग्रियों (Consumables, Medical Devices) की आपूर्ति हेतु जिलों से त्रैमासिक अध्याचना (इन्डेंट) DVDMS Portal पर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित कर DVDMS Portal पर अंतिम रूप से भेजा जाता है। इसी प्रकार उपकरणों एवं उपस्करों (Medical Equipment, Instrument) की आपूर्ति हेतु EMMS Portal पर उपकरणों की अध्याचना संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे सिविल सर्जन द्वारा अनुमोदित कर EMMS Portal पर अंतिम रूप से भेजा जाता है।

4. अध्याचना (Indent) करने की उपर्युक्त व्यवस्था के तहत BMSICL द्वारा औषधि, चिकित्सकीय सामग्रियों (Consumables, Medical Devices) तथा उपकरणों एवं उपस्करों आदि की आपूर्ति क्रमशः जिला औषधि भंडार एवं संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाता है। औषधियों के मामले में BMSICL के क्षेत्रीय भंडार से जिला औषधि भंडार को औषधियों एवं चिकित्सकीय सामग्रियों (Consumables, Medical Devices) की आपूर्ति हेतु क्षेत्रीय औषधि भंडार के प्रबंधक द्वारा DVDMS Portal पर MIN – Material Issue Note संबंधित जिला औषधि भंडार को निर्गत किया जाता है। जिला औषधि भंडार का यह दायित्व होता है कि क्षेत्रीय औषधि भंडार द्वारा निर्गत MIN में अंकित औषधियों एवं उनकी मात्रा के अनुरूप भौतिक रूप से औषधि प्राप्त होने पर औषधि का बैचवार मात्रा/संख्या का मिलान करने के उपरांत ही जिला औषधि भंडार द्वारा DVDMS Portal में उक्त



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



औषधि को Acknowledge (Receive) किया जाता है। क्षेत्रीय औषधि भंडार में दर अनुबंधित निर्माता संस्थानों से क्रयादेश के अनुरूप औषधि प्राप्त होने के उपरांत औषधि के दर अनुबंधित एजेन्सी को MRC- Material Receipt Certificate निर्गत किया जाता है।

5. उपकरण एवं उपस्कर के मामले में EMMS Portal पर जिलों/स्वास्थ्य संस्थानों से उपकरणों के लिए प्राप्त अध्याचना (Indent) के विरुद्ध BMSICL के दर अनुबंधित एजेन्सी द्वारा उपकरणों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में किया जाता है। आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के उपरांत संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा Consignee Receipt Certificate/Installation Report निर्गत किया जाता है, जो BMSICL कार्यालय में जमा होता है।

6. BMSICL द्वारा औषधि के MRC- Material Receipt Certificate एवं उपकरण के Consignee Receipt Certificate/Installation Report और अन्य अनिवार्य कागजातों के आधार पर BMSICL के स्तर से दर अनुबंधित एजेन्सियों के विपत्रों के भुगतानादि की विहित प्रक्रिया अपनायी जाती है।

7. औषधियों, चिकित्सकीय सामग्रियों, उपकरणों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति की वर्तमान व्यवस्था के अतिरिक्त औषधियों एवं उपकरणों आदि की आपूर्ति शृंखला, वितरण एवं उसके उपयोग को सुदृढ़ एवं अत्याधिक प्रभावकारी बनाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है:-

(क) **औषधि:-** औषधियों की आपूर्ति प्राप्त होने पर संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा भौतिक रूप से औषधियों के भंडार में प्राप्त होने (भौतिक भंडारपंजी एवं DVDMS पोर्टल में प्रविष्टि सहित) के उपरांत आपूर्ति का सत्यापन MIN - Material Issue Note पर किया जाएगा।

(ख) **उपकरण:-** इसी प्रकार उपकरण एवं उपस्कर की संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों में आपूर्ति प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि भौतिक भंडारपंजी एवं EMMS पोर्टल पर किया जाएगा। उपकरण के अधिष्ठापन के उपरांत Consignee Receipt Certificate/Installation Report पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।

(ग) अस्पताल स्तर एवं जिला स्तर पर सत्यापन करने वाले नामित पदाधिकारी निम्नवत् है:-

अस्पताल का स्तर	स्वास्थ्य संस्थान स्तर			जिला स्तर	
	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	चतुर्थ स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
जिला औषधि भंडार	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
सदर अस्पताल	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	अस्पताल प्रबंधक	उपाधीक्षक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
अनुमंडल अस्पताल	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	अस्पताल प्रबंधक	उपाधीक्षक/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	शहरी स्वास्थ्य सलाहकार	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
ग्राम स्तर (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ रेफरल अस्पताल)	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	ग्राम स्वास्थ्य प्रबंधक	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



अस्पताल का स्तर	स्वास्थ्य संस्थान स्तर			जिला स्तर	
	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	चतुर्थ स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
प्रखंड से नीचे के स्तर (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)	फार्मासिस्ट/ भंडारपाल	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन
HWC/स्वास्थ्य उपकेन्द्र	CHO/ANM	प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक	जिला योजना समन्वयक	जिला कार्यक्रम प्रबंधक	सिविल सर्जन

8. औषधियों का MIN - Material Issue Note तथा उपकरण एवं उपस्कर का Consignee Receipt Certificate/Installation Report पर उपर्युक्त सारणी 7 में अंकित स्वास्थ्य संस्थान स्तर के पदाधिकारी एवं जिलास्तरीय पदाधिकारी के सत्यापनोपरांत सभी सत्यापित प्रपत्रों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा BMSICL के क्षेत्रीय औषधि भंडार (RWH) को अग्रसारित कर दिया जाएगा। आपूर्ति से संबंधित आलोच्य प्रपत्रों पर सभी स्तर के पदाधिकारियों का हस्ताक्षर/सत्यापन होना अनिवार्य है। BMSICL कार्यालय द्वारा संबंधित सिविल सर्जन कार्यालय से समन्वय कर उक्त सत्यापन प्रमाण पत्र प्राप्त की जाएगी। तदोपरांत BMSICL विपत्रों के भुगतानादि संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

9. क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ अपने क्षेत्राधीन जिलों के न्यूनतम 10 प्रतिशत MIN - Material Issue Note एवं Consignee Receipt Certificate/Installation Report की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से प्रबंध निदेशक BMSICL को संसूचित करेंगे।

10. उपर्युक्त निर्धारित व्यवस्था के तहत औषधियों एवं उपकरणों आदि की अधिप्राप्ति एवं आपूर्ति सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए। BMSICL द्वारा राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपर्युक्त निहित व्यवस्था के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को समर्पित किया जाएगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक: SHSB/PM/233/2009/Part-I/..... 3063 पटना, दिनांक 20/08/26

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

20/8/2026

कार्यपालक निदेशक